प्रेस नोट संख्या- 22
दिनांक 17.06.2025
सराहनीय कार्य थाना इन्हौना एवं स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।

ज्वैलरी की दुकान से ज्वैलरी देखने के बहाने चोरी/टप्पेबाजी करने वाला अन्तर्जनपदीय शातिर चोर/टप्पेबाज गिरफ्तार, कब्जे से 57.35 ग्राम जेवर व पिघली हुई पीली धातु (कीमत लगभग 5.5 लाख रुपये) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.06.2025 को श्री योगेश गुप्ता निवासी ग्राम इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी द्वारा थाना इन्हौना पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 11.06.2025 को शाम करीब 08:00 बजे एक व्यक्ति उनकी दुकान पर ज्वैलरी खरीदने आया था एवं 03 लाख 50 हजार रुपये की ज्वैलरी खरीदकर रख दिया तथा रुपये लाकर सामान ले जाने की बात कहकर रुपये लेने चला गया। रुपये लेने जाते समय चेन जेब में रखकर चला गया तथा वापस नहीं आया, बाकी सामान दुकान पर रखा है। उक्त सूचना पर थाना इन्हौना पर मु0अ0सं0 39/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। **पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.06.2025 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना इन्हौना एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम उक्त घटना की पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मौजूद थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि इन्हौना में ज्वैलरी की दुकान में चोरी करने वाला व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह थाना क्षेत्र में ही मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर थाना इन्हौना एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर 01 व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम दियरा बाजार थाना मोतीगरपुर जनपद सुलतानपुर हाल पता सेक्टर 12 राहुल विहार कालोनी द्वितीय प्लाट नम्बर K.A. 391 SF 01 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष बताया। अभियुक्त के पास से बरामद बैग की तलाशी लेने पर उसमें सफेद प्लास्टिक की 06 पन्नियों में पीली धातु बरामद हुई, जिसके संबंध में पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि उसने विभिन्न जनपदों से ज्वैलरी की दुकानों से सोने के गहने जिसमें ज्यादातर सोने की चेन चोरी की है जिन्हें लखनऊ के टंच मार्केट में जाकर पिघलाकर रख लिया है। बरामद उक्त पन्नियों में रखी पीली धातु का वजन करने पर कुल 57.35 ग्राम पाया गया। अभियुक्त ने क्रमशः **पहली पन्नी में रखी** पीली धातु दिनांक 11.06.2025 को इन्हौना बाजार से एक ज्वैलरी की दुकान से चोरी करना बताया, **दूसरी पन्नी में रखी** पीली धातु को दिनांक 12.05.2025 को अमेठी बाजार से एक ज्वैलरी की दुकान से चोरी करना बताया, **तीसरी पन्नी में रखी पीली धातु** को दिनांक 15.05.2025 को जनपद प्रतापगढ़ के जेल रोड से एक ज्वैलरी की दुकान से चोरी करना बताया, **चौथी पन्नी में रखी पीली धातु** को दिनांक 10.05.2025 को जनपद गोण्डा कोतवाली नगर के एक ज्वैलरी की दुकान से चोरी करना बताया, **पांचवी पन्नी में रखी पीली धातु** को दिनांक 13.05.2025 जनपद बस्ती की एक दुकान से चोरी करना, **छठवीं पन्नी में रखी पीली धातु** को दिनांक 29.04.2025 को जनपद बाराबंकी के एक ज्वैलरी की दुकान से चोरी करना बताया जिसे पिघलवाया/गलवाया नहीं था। **उक्त सभी चोरियों के संबन्ध में संबन्धित जनपद में अभियोग पंजीकृत है।**

गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर चोर है, जो सीधे-साधे व पुराने लोगों की ज्वैलरी की दुकान को निशाना बनाता था। ज्वैलरी की दुकान पर जाकर आभूषण खरीदने के बहाने सामान देखता था और मौका पाकर आभूषण चोरी से अपने जेब में रख कर चला जाता था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद अमेठी के अतिरिक्त जनपद गाजियाबाद, बाराबंकी, बस्ती, प्रतापगढ़, गोण्डा में लूट व चोरी के कुल 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- सौरभ सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम दियरा बाजार थाना मोतीगरपुर जनपद सुलतानपुर हाल पता सेक्टर 12 राहुल विहार कालोनी द्वितीय प्लाट नम्बर K.A. 391 SF 01 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी- कुल 57.35 ग्राम जेवर/पिघली हुई पीली धातु।

1. मु0अ0सं0 39/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना इन्हौना जनपद अमेठी से संबन्धित।
2. मु0अ0सं0 108/25 धारा 305 बीएनएस थाना व जनपद अमेठी से संबन्धित।
3. मु0अ0सं0 213/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबन्धित।
4. मु0अ0सं0 371/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली गोण्डा जनपद गोण्डा से संबन्धित।
5. मु0अ0सं0 90/25 धारा 305(1) बीएनएस थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती से संबन्धित।
6. मु0अ0सं0 436/25 धारा 305(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से संबन्धित।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 39/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्हैना-

1. उ0नि0 प्रदीप सिंह थानाध्यक्ष थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश पाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. हे0का0 मदनलाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
4. का0 अभिषेक यादव थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।

1. उ0नि0 अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।
2. हे0का0 आलोक कुमार सिंह स्वाट टीम अमेठी।
3. हे0का0 आशीष कुमार चौहान सर्विलांस टीम अमेठी।
4. का0 मनीष कुमार सर्विलांस टीम अमेठी।
5. का0 सिकन्दर स्वाट टीम अमेठी।
6. का0 जय हिन्द स्वाट टीम अमेठी।
7. का0 बृजेश स्वाट टीम अमेठी।
8. का0 शिवराम स्वाट टीम अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 1442/22 धारा 392, 411 भादवि थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
- मु0अ0सं0 436/25 धारा 305(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
- मु0अ0सं0 108/25 धारा 305 बीएनएस थाना व जनपद अमेठी।
- मु0अ0सं0 90/25 धारा 305(1) बीएनएस थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
- मु0अ0सं0 213/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
- मु0अ0सं0 371/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली गोण्डा जनपद गोण्डा।